राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 992/2017...जिला...........अलवर.......................................

उनवान – मैसर्स शक्ति टूरिस्ट कॉम्पलैक्स लि., अलवर बनाम 1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी 2. अपीलीय प्राधिकारी, अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ताभील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य**	
28.07.2017	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के.गुप्ता एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया मांग राशि 12,796/– में से राशि रूपये 7,108/– को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया गया अतः व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत पुनः स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि रू. 5,688/– पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह कि व्यवसायी द्वारा कमरें किराये पर दिये जाते है, एवं होटल में रेस्टोरेंट व बार भी संचालित किये जाते है। व्यवसायी द्वारा सर्विस चार्ज एवं सर्विस टैक्स पर वैट जमा नहीं करवाया गया। अधिनियम की धारा 2(36) के तहत् विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार Statutory levy को शामिल किया गया है, अतः सर्विस टैक्स की राशि पर जो कि विक्रय मूल्य का भाग है, पर आरोपित कर व ब्याज वसूली योग्य रखा जाता है। सर्विस चार्ज जो कि वेटर्स् को श्रम के बदले प्राप्त हुआ है, इस पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी पर आरोपित कर राशि रूपये 1,950/– एवं उस पर आरोपित ब्याज राशि रूपये 1,365/– की वसूली कार्यवाही को इस शर्त लगातार................2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 992/2017..जिला..........अलवर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/07/2017	के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **तीन माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 28/7/17 **(मदन लाल मालवीय)** **सदस्य**	